Recived
1/10/2020
12:40PM
Not showing on Portal
01-10-20

प्रेषक,

ईश्वर सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-8, गाजियाबाद।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय- विधि स्नातकोत्तर(एल०एल०एम०)की उपाधि धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी ने U.P.H.J.S. 2018(III) की परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 8, गाजियाबाद के पद पर दिनांक 19.03.2020 को पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थी ने नियुक्त से पूर्व ही विधि स्नातकोत्तर (एल०एल०एम०) उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सन् 2013 में उत्तीर्ण की हुयी है।

1. प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग(शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2002 के अनुपालन में उ०प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को शासन के आदेश सं.1363/2-4-2009-45(12)/91 टीसी दिनांक 13 मई 2009 तथा सपठित शासन के पत्र सं० 1705/2-4-2011-45(12)/91 टीसी दिनांक 13.01.2013 द्वारा मा० शेट्टी आयोग की संस्तुति को दिनांक 21.03.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यार्थियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान की गयी थीं।

2. इसी प्रकार रिट याचिका सं. सी० 19/2012 भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15.11.2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21.03.2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एल०एल०एम०) धारित करने वाले उ०प्र० न्यायिक सेवा एवं उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश सं. 2/2015/355/2-4/2015-45(12)/91 टीसी दिनांक 27.03.2015 द्वारा 03 अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

प्रार्थी उपरोक्त शासनादेशों के आधार पर तीन अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त करने हेतु योग्य है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि विधि स्नातकोत्तर(एल०एल०एम०)की उपाधि

धारक होने के आधार पर दिनांक 19.03.2020 से मेरे द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 8, गाजियाबाद के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु समुचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 30.09.2020

भवदीय,

(ईश्वर सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–8, गाजियाबाद।

संलग्नकः– 1. पत्रांक सं० 2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 27/3/2015
2. शासनादेश सं० 1363/2-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13/5/2009
3. उपाधि एल.एल.एम.
4. मार्कशीट एलएल.एम.
5. आई कार्ड

पृष्ठ सं. 3074/I दिनांक 30/9/2020

अग्रसारित,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

माननीय जनपद न्यायाधीश, 30/09/2020
गाजियाबाद।

District Judge
Ghaziabad
30/9/2020

संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी.सी.

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2015

विषयः- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुति एवं तत्क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में उक्त संस्तुति को दिनॉक 21-3-2002 से स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित एवं चयन के समय ही विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी.सी., दिनांक 13 मई, 2009 सपठित शासनादेश संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी.सी., दिनांक 03 जनवरी, 2012 द्वारा प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-19/2012, भरत कुमार शान्तिलाल ठक्कर बनाम् गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 एवं तद्क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-16117 / IV f 82(loose), दिनांक 15-11-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-3-2002 के पूर्व चयनित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले उ0प्र0 न्यायिक सेवा एवं उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भर्ती) के अधिकारियों को भी 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- वे0आ0-2-323/दस-2015, दिनांक 25-3-15 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2/2015/355(1)/दो-4-2015-45(12)/91 टी.सी., तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, आडिट, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0।
9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- वित्त(सामान्य) अनुभाग-1, 2 एवं 3, उ0प्र0 सचिवालय।
11- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-5/वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2, उ0प्र0 सचिवालय।
12- इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 सचिवालय।
13- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति सम्बन्धी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009 दिनांक 13.5.2009 से प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

क्रमांक / Serial No. 12110018

नामांकन सं. / Enrolment No. M96087114

अनुक्रमांक / Roll No. L112183

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय

विधी अध्ययन - विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि ईश्वर सिंह

आत्मज / आत्मजा श्री सन्ता सिंह एवं श्रीमती बसन्ती

को इस विश्वविद्यालय से सन् 2013 की परीक्षा में विधि

विषय लेकर विधि **निष्णात** की उपाधि द्वितीय श्रेणी में विशिष्ट अध्ययन

व्यवसाय विधि के साथ प्रदत्त की गयी है।

Department of Legal studies

This is to certify that Ishwar singh *son/daughter of shri* Shanta singh *and Smt.* Basanti *has been conferred the Degree of* **MASTER OF** LAW *of this University in the Examination of* 2013 *in* law *and that he / she was placed in* second *Division with specialization in* Business law.

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Dated 07.12.2013

कुलपति

Vice-Chancellor

Sl. No. 2K13 40732381

CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

STATEMENT OF MARKS

[redacted]

Examination / Year L.L.M. (IVth SEM.) JUN.-2013

ndidate's Name : ISHWAR SINGH
ther's Name : SHANTA SINGH
other's Name : BASANTI
stitution's Name : C C S UNIVERSITY CAMPUS MEERUT

Roll No. : L112186
Enrol No. : M 9608714

NAME OF THE COURSE	CODE No.	MARKS Max.	MARKS Min.	MARKS OBTAINED THEORY	MARKS OBTAINED PRACTICAL	TOTAL
				EXT.	INT.	
LAW OF SALE OF GOODS & PARTNERSHIPS	404	50+50	20+20	27	28	55
COMPANY LAW	405	50+50	20+20	27	28	55
DISSERTATION	DIS	100+100	40+40	75	71	146
	511	50+50	20+20	32	31	63

	MAX. MARKS	MIN. MARKS	MARKS OBT.	RESULT
TOTAL	500	250	319	
PREV. TOTAL	1500	750	801	SECOND
G. TOTAL	2000	1000	1120	

In case of any discrepancy between the entries in the marksheet issued & in the University record, the University record shall be final.

40732381

Date : 13/01/14

CHECKED BY :

1. Full Signature ______
Full Name ______

2. Full Signature ______
Full Name SAVITA TYAGI

Registrar
C.C.S. University Meerut

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ID. Card No. 74782/2020 OFFICER'S ID. UP2688

सत्यमेव जयते

JUDGE

District and Sessions Court

Name : Ishwar Singh

Designation : Additional District Judge

Date of Birth: 02/01/1978

Registrar General

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Father's/Husband's Name	:	**Shanta Singh**
Blood Group	:	**B+**
Permanent Address	:	**Vill.- Luksar, Post Kasna, Greater Noida, Dist.- Gautam Budh Nagar.**
Contact No. (In case of emergency)	:	**+91 9910061292**
Date of Issue	:	**01/06/2020**

IN CASE OF LOSS, PLEASE INFORM IMMEDIATELY TO THIS OFFICE AND KINDLY DEPOSIT IT IN THE NEAREST POLICE STATION.